



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 07 मामलों में कुल 10 अभियुक्तों को 24600/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 07 मामलों में कुल 10 अभियुक्तों को 24600/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बदौसा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-13/13 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त शिवलाल पुत्र रामचरन निवासी उतरवां थाना बदौसा जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना फतेहगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-08/15 धारा 352/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. रामलखन 2. वीरेन्द्र पुत्रगण कोदा निवासी भदैया थाना फतेहगंज जनपद बांदा को कुल 4000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना अतर्रा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-13/16 धारा 13जी एक्ट के अभियुक्त रविन्द्र पुत्र राजा निवासी सेमरिया कुशल थाना अतर्रा जनपद बांदा को 100/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना कमासिन पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 131/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त विजयनरायन पुत्र धर्मपाल निवासी बेनामऊ थाना कमासिन जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-(एनसीआर) 191/06 धारा 323/427/504/506 भादवि के अभियुक्त भोला पुत्र गयादीन निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 4500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
6. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-(एनसीआर) 103/09 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1.पुइयां पुत्र कमतु 2. अमित पुत्र बलखण्डी निवासीगण क्योटरा पहाड़ के नीचे थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 8000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
7. थाना मटौन्ध पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 130/11 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1.लल्लू पुत्र रामाधीन 2. कुसमा पत्नी लल्लू निवासीगण त्रिवेणी थाना मटौन्ध जनपद बांदा को 6000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।